2

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–326/ix/86/2008
देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड में उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अन्तिम रूप से आवंटित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित सीधी भर्ती के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा राज्य गठन के उपरान्त पदोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य के कार्यालय ज्ञाप संख्या–644/30–3–96–73जीडब्लू/90 दिनांक 26–06–1996 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–3249/30–3–97–73जीडब्लू/90 दिनांक 20–11–1997 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची की स्थिति के अनुसार एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 मे प्रदत्त व्यवस्थानुसार परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–175/ix/86/2008 दिनांक 06–06–2008 द्वारा जारी करते हुये सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों से आपत्तियां आमत्रित की गयी थी। इस सम्बन्ध मे प्राप्त आपत्तियो का परीक्षण किया गया और प्राप्त आपत्तियों का सार तथा उन पर लिया गया निर्णय निम्नवत है:–

1– श्री ए0के0 सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नें नियुक्ति की तिथि त्रुटिपूर्ण होने की आपत्ति की है जो ग्राह्य योग्य होने की स्थिति में ठीक कर दी गयी है।

संख्या 533 /प0आ0कै0/200
दिनांक ....
ARTO (HQ)
21/10/08
डॉ0 उमा कान्त पंवार
परिवहन आयुक्त
21/10/08

2– श्री सुधाकर चन्दोला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ने जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि वे पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य के समय से अर्थात वर्ष 1992 से ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और उत्तराखण्ड राज्य मे उनकी पदोन्नति के स्थान पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियमितीकरण किया जाना चाहिये। राज्य गठन के उपरान्त उ0प्र0 राज्य में भी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नतियों/नियमितीकरण की कार्यवाही की गयी है, जिसके अनुसार संभागीय निरीक्षक संवर्ग के उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री दुष्यन्त कुमार को वर्ष 2003 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। श्री राजीव मेहरा एवं श्री दिनेश चन्द्र पठोई की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत वर्ष 2005 में की गयी है। राज्य गठन के समय से ही उत्तराखण्ड राज्य में पदोन्नति कोटे के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद उपलब्ध है और जिनके सापेक्ष ही उनका नियमितीकरण वर्ष 2001–02 के चयन वर्ष में किया जाना चाहिये था और तद्नुसार ही उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जानी चाहियें। उ0प्र0 परिवहन सेवा नियमावली, 1990 में दिये गये ज्येष्ठता सम्बन्धी प्राविधानों के अनुसार पारस्परिक ज्येष्ठता पदोन्नति/सीधी भर्ती के आधार पर रखे जाने का प्राविधान है तथा सूची में प्रथम नाम पदोन्नति कोटे से रखे जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार उनका नाम ज्येष्ठता सूची में श्री सुधांशु गर्ग से नीचे और श्री राजीव मेहरा से ऊपर क्रम संख्या–8 पर अंकित किया जाना चाहिये।

श्री सुधाकर चन्दोला की आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि श्री सुधाकर चन्दोला की संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पद पर नियमित पदोन्नति परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 27–04–1995 द्वारा की गयी है। श्री चन्दोला का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अन्तिम आवंटन भारत सरकार के आदेश 19/2006 दिनांक 25–05–2006 द्वारा किया गया है। तदोपरान्त परिवहन आयुक्त के कार्यालयादेश संख्या–410/अधिष्ठान/2–21(4)/2006 दिनांक 09–10–2006 द्वारा परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के लिये आवंटित संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

जारी की गयी है।

यह सूच्य है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री राजीव मेहरा एवं श्री दिनेश चन्द्र पठोई की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयन वर्ष 2002–03 के सापेक्ष वर्ष 2005 में की गयी है। जबकि श्री सुधाकर चन्दोला की संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पद पर अन्तिम ज्येष्ठता का निर्धारण दिनांक 09–10–2006 को हुआ है। यह भी स्पष्ट किया जाना है कि श्री सुधाकर चन्दोला की संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) (पोषक संवर्ग में) पद पर अन्य कार्मिको के साथ स्थायीकरण दिनांक 14–11–2006 को होने के कारण उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक किसी भी कार्मिक को पात्र नही माना गया है। तद्नुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर श्री सुधाकर चन्दोला की नियमित पदोन्नति चयन वर्ष 2007–08 में निर्धारित करते हुये की गयी है। अतः उक्त तथ्यों के अनुसार श्री सुधाकर चन्दोला को पूववर्ती तिथि से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियमित किये जाने के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारण किया जाना संभव नही है। तद्नुसार प्राप्त आपत्ति ग्राहय योग्य नहीं पायी गयी है।

3– श्री पी0सी0 जोशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ने जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी में पदोन्नति हेतु 27 प्रतिशत कोटा है तथा उनकी प्रोन्नति से पूर्व यात्रीकर अधिकारी संवर्ग से उत्तराखण्ड में कोई भी अधिकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर तैनात नहीं था। यह भी अवगत कराया गया कि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का कोटा 23 प्रतिशत है तथा यह पद अराजपत्रित श्रेणी का है। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के समय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद रिक्त थे तथा यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग में उन्हें तथा श्री के0सी0 उनियाल को उत्तरांचल राज्य आवंटित कर दिया गया था तथा उनसे वरिष्ठ पोषक वर्ग मे अन्य कोई अधिकारी नहीं था। श्री जोशी द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें व श्री के0सी0 उनियाल को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा यात्रीकर अधिकारी पद पर प्रोन्नति करते हुये वर्ष 1998 का चयन वर्ष आवंटित किया गया था। इस प्रकार 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के अन्तर्गत यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर प्रोन्नत में ज्येष्ठता निर्धारण मे प्रोन्नति कोटे के अधिकारी को ऊपर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त राजपत्रित पद पर कार्यरत अधिकारी को पहले तथा अराजपत्रित पद से प्रोन्नत अधिकारी को बाद में रखा जाता है। श्री पी0सी0 जोशी द्वारा अपने पक्ष के संदर्भ मे उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3015/30–3–84–350 ई0/81 दिनांक 26–11–1984 की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी।

श्री पी0सी0 जोशी की आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26–11–1984 में उल्लेख है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद के सम्बन्ध में कोई सेवा नियमावली (तत्समय) नहीं बनी है। इस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तथा यात्रीकर अधिकारियों के संवर्ग से 23 प्रतिशत और 27 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया था। वर्तमान में उ0प्र0 परिवहन सेवा नियमावली 1990 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के नियम 5 के अन्तर्गत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं यात्रीकर अधिकारी का पृथक–पृथक कोटा निर्धारित नहीं है।

अवगत कराया जाना है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद के 50 प्रतिशत पदों के कोटे में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) व यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग का पृथक–पृथक कोटा निर्धारित न होने के कारण दोनो पोषक संवर्ग के कार्मिक में से उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर

A.M.-I

संयुक्त ज्येष्ठता सूची में से पदोन्नति की जाती है। ज्येष्ठता निर्धारण में राजपत्रित पद के प्रोन्नत अधिकारी को पहले तथा अराजपत्रित पद से प्रोन्नत अधिकारी को बाद में रखे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 परिवहन सेवा नियमावली, 1990 तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 2002 में कोई प्राविधान नहीं है। ज्येष्ठता निर्धारण का आधार पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को रखा गया है।

श्री पी0सी0 जोशी की यात्रीकर अधिकारी पद पर मौलिक/नियमित नियुक्ति दिनांक 05–06–2000 को हुयी है (चयन वर्ष 1998–99 आवंटित करते हुये)। उक्त पद पर 05 वर्ष की नियमित अर्हकारी सेवा की अवधि 05 जून, 2005 को पूर्ण होती है। अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता/अर्हता उक्त तिथि 05–06–2005 के बाद बनती है। इस प्रकार राज्य गठन के समय से उत्तराखण्ड राज्य में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद रिक्त होने तथा यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग से वरिष्ठ अधिकारी न होने से ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं बनती। श्री पी0सी0 जोशी की आपत्ति की उनका स्थान ज्येष्ठता सूची में श्री राजीव मेहरा एवं श्री सुधाकर चन्दोला से ऊपर होना चाहिये, के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि श्री सुधाकर चन्दोला की संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) (पोषक संवर्ग) पद पर मौलिक नियुक्ति दिनांक 27–04–1995 को हुयी है, जबकि श्री पी0सी0 जोशी एवं श्री के0सी0 उनियाल की यात्रीकर अधिकारी (पोषक संवर्ग) पद पर मौलिक नियुक्ति दिनांक 05–06–2000 को हुयी है। अतः उक्त स्थिति श्री पी0सी0 जोशी की आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं पायी गयी है।

4– श्री के0सी0 उनियाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ने जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि यात्रीकर/मालकर अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप यात्रीकर/मालकर अधिकारी के संवर्ग के प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त वर्ष का आवंटन नही किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के 09 नवम्बर 2000 के गठन के समय ही यात्री/मालकर अधिकारी के पोषक संवर्ग से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्त पद विद्यमान थे। कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालयादेश संख्या–1791ई/2000–210ई/जीपीटी/94–2000 लखनऊ, दिनांक जून 5, 2000 के द्वारा उन्हें रिक्त वर्ष 1998–99 आवंटित किया गया है। कार्यालय ज्ञाप संख्या–175/ix/86/2008 दिनांक 5 जून, 2008 परिवहन विभाग उत्तराखण्ड में, किस रिक्त वर्ष के सापेक्ष उनकी पदोन्नति की गई है, का उल्लेख नहीं है। जबकि विभागीय रिक्तियों के दृष्टिगत यात्रीकर/मालकर अधिकारी के पद से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु उनकी पात्रता सन, 2000–2001 में ही उपलब्ध है। उत्तराखण्ड राज्य में पदोन्नति हेतु वर्षो की शिथिलता प्रदान करते हुए प्रशासनिक पदों पर पदोन्नतियों की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय 09 नवम्बर, 2000 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यात्रीकर/मालकर अधिकारी के पोषक सदंर्ग से कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं था। उन्हें कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालयादेश संख्या–4345ई/2000–2002 ई/2000, लखनऊ दिनांक नवम्बर 08, 2000 के द्वारा स्थायी रूप से उत्तरांचल राज्य के लिये आवंटित किया गया था जिससे सन, 2000–01 में ही मेरी पात्रता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु विधमान थी। उनका स्थान श्री पी0सी0 जोशी के साथ कमांक 07 के बाद निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री के0सी0 उनियाल की आपत्ति के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उनकी प्रोन्नति रिक्त वर्ष 2007–08 के सापेक्ष की गयी है, जिसका उल्लेख ज्येष्ठता सूची मे कर दिया गया है। अन्य आपत्तियों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि श्री के0सी0 उनियाल की यात्रीकर अधिकारी पद पर मौलिक/नियमित नियुक्ति दिनांक 05–06–2000 को हुयी है (चयन वर्ष 1998–99 आवंटित करते

हुये)। उक्त पद पर 05 वर्ष की नियमित अर्हकारी सेवा की अवधि 05 जून 2005 को पूर्ण होती है। अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता/अर्हता उक्त तिथि 05–06–2005 के बाद बनती है। इस प्रकार राज्य गठन के समय से उत्तराखण्ड राज्य में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद रिक्त होने तथा यात्रीकर अधिकारी पोषक संवर्ग से वरिष्ठ अधिकारी न होने से ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं बनती। अतः श्री के0सी0 उनियाल की आपत्ति ग्राहय योग्य नहीं है।

5– अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या–175/ix/86/2008 दिनांक 05–06–2008 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार सम्यक रूप से विचारोपरान्त निराकरण करते हुये तथा आवश्यक तथ्यों का समावेश करते हुये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्नानुसार निर्धारित की जाती है।

संलग्नक:–यथोक्त।

(उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या–326/ix/86/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 परिवहन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सम्बन्धित अधिकारीगण।
5– सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6– गार्ड फाईल।

उप सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 326/IX/06/08 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 का संलग्नक

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र0 सं0	उ0प्र0 राज्य की सूची का क्रमांक	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	जन्मतिथि	चयन वर्ष/नियुक्ति की तिथि	मूल पद	भर्ती का प्रकार	अभ्युक्ति
1	07 (प्रथम भाग)	श्री राजेन्द्र तिवारी	अल्मोड़ा	—	20-06-48	1980-81	यात्रीकर अधिकारी	पदोन्नत	सेवानिवृत्त
2	06(भाग-2)	श्री डी0डी0एस0खाती	नैनीताल	—	06-02-45	1986-87	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	सेवानिवृत्त
3	23 (भाग-2)	श्री टी0पी0कुण्डलिया	पौड़ी	—	20-12-47	1988-89	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	सेवानिवृत्त
4	38(भाग-2)	श्री अर्जुन सिंह गुन्ज्याल	पिथौरागढ़	—	12-03-55	1988-89	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	मृत्यु
5	—	श्री ए0के0 सिंह	आजमगढ़	—	22-06-6[illegible]	12-03-1999	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	
6	—	श्री एस0के0 सिंह	बाराबंकी	—	11-11-70	16-03-1999	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	
7	—	श्री सुधांशु गर्ग	देहरादून	—	24-11-63	21-[illegible]-1999	आर0आई0	पदोन्नति	
8	—	श्री राजेन्द्र मेहरा	अल्मोड़ा	—	20-06-7[illegible]	16-07-2005	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	
9	—	श्री दिनेश चन्द्र पठोई	टिहरी	—	21-06-7[illegible]	16-07-2005	ए0आर0टी0ओ0	सीधी भर्ती	
10	—	श्री सुधाकर चन्दोला	अल्मोड़ा	—	30-08-53	2007-08 22-10-2007	आर0आई0	पदोन्नति	परिवीक्षा अवधि
11	—	श्री पी0सी0 जोशी	नैनीताल	—	09-09-54	2007-08 22-10-2007	यात्रीकर अधिकारी	पदोन्नति	परिवीक्षा अवधि
12	—	श्री के0सी0 उनियाल	टिहरी	—	13-07-53	2007-08 22-10-2007	यात्रीकर अधिकारी	पदोन्नति	परिवीक्षा अवधि

(उमाकान्त पंवार)
सचिव।